

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प.11(27)मं.मं./2018

जयपुर दिनांक 06.11.2020

:: परिपत्र ::

प्रायः यह देखने में आया है कि माननीय सांसदगण/विधायकगण द्वारा माननीय मंत्रिगण को प्रेषित पत्रादि की पावती की सूचना नहीं मिल पा रही है।

अतः उपरोक्त सम्बन्ध में निर्देशानुसार माननीय सांसदगण/विधायकगण द्वारा मंत्रिगण को प्रेषित पत्रादि के सम्बन्ध में उनकी पावती आवश्यक रूप से भिजवाते हुए की गयी कार्यवाही से भी संबंधित को अवगत करवाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने का अनुरोध है।

(डॉ० प्रीतम जी० यशवंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मा० मंत्रिगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान।
3. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री को उनकी अशा० टीप क्रमांक प.2/साप्र/20/एम-643 दिनांक 03.11.2020 के क्रम में।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
6. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सेल, सामान्य प्रशासन विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव